

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या-103/1/13/2019-सीएक्स-3
लखनऊ: दिनांक: १३ फरवरी, 2021

अधिसूचना

चूँकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिये किया जाता है, जो लोक प्रकृति के प्रयोजन का कार्य है;

और चूँकि उसके सम्बन्ध में किसी सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुंचेगा;

अतएव, अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या उन्नीस, सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
सेक्शनलाईज्ड वॉल्व स्टेशन-1 ग्राम जलपुरा तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश	
पूर्व में -	खाली भूमि एवं आवासीय भूखण्ड।
पश्चिम में-	रास्ता।
उत्तर में-	आवासीय भूखण्ड।
दक्षिण में-	मकान एवं आवासीय भूखण्ड।

आज्ञा से,



(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव

1-1-1-1

103/1/13/2019-सीएक्स-3

